अपने अधिकारों को जानें

® नाज़ फाउन्डेशन इन्टरनेशनल, 2003

क्या आप 'एक पुरूष हैं जो पुरूषों के साथ सेक्स' (MSM) करते हैं?

क्या आप अपने अधिकारों को जानते हैं?

क्या आप जानते हैं कि भारत में पुरूष-पुरूष सेक्स एक अपराध है। जी हाँ, भारतीय दण्ड संहिता की धारा 377 ऐसा ही कहती है। इस धारा में जो लोग शारीरिक सम्भोग 'जो कि प्रकृति के नियमों के ख़िलाफ़' करते हैं उन्हें उम्र कैद तक सज़ा हो सकती है। लेकिन 'प्रकृति के ख़िलाफ़' का क्या मतलब है, इसके बारे में कुछ भी बताया नहीं गया है। अदालत के फैसले के अनुसार इस धारा में गुदा-मैथुन और मुख-मैथुन शामिल हैं। सवाल यह है कि यह कानून ठीक है कि नहीं और क्या इसका पालन हो रहा है?

यह कानून सन् 1860 में बना था, और यह अंग्रेजी गुदा-मैथुन के ख़िलाफ़ कानून (Anti sodomy Law) पर आधारित था। इग्लैंड में इस कानून को दण्ड संहिता से हटा दिया गया है। लेकिन भारत में इस कानून का दबाव जारी है। लेकिन समलैंगिकता की समझ और समलैंगिकों के प्रति व्यवहार में बदलाव के कारण, भारत में भी इस कानून को ख़त्म किया जाने की माँग बढ़ रही है। भारत के कानून आयोग ने भी यह सुझाव दिया है कि इस कानून को ख़त्म किया जाना चाहिये। यह कानून मौलिक अधिकारों के ख़िलाफ़ है, जो MSM सहित सभी नागरिकों को दिये गये हैं।

यह कानून बहुत कम लागू होता है। लेकिन, इसकी वजह से पुलिस और अन्य कानून का रक्षा करने वाली संस्थाऐं MSM को परेशान, ब्लैकमेल और पैसा वसूलती हैं। जहाँ पर MSM एक-दूसरे से मिलते हैं, उन जगहों पर छापा पड़ना इस बात का एक उदाहरण है, जिसका शायद आपने कई बार सामना किया हो। जब तक यह कानून रहेगा, तब तक सही तरह से MSM के लिये एच०आई०वी०/एड्सत्रकी रोकथाम के कार्यक्रम नहीं चल पायेंगे। MSM के बीच कन्डोम बाँटना और सुरक्षित सेक्स के बारे में जानकारी देना, हो सकता है यह सब इस कानून को तोड़ने के लिये बढ़ावा देना समझा जा सकता है। MSM के दूसरे अधिकार जैसेः मानव अधिकार और मौलिक अधिकार भी सुरक्षित नहीं रह सकते और उन्हें बढ़ावा भी नहीं मिल सकता।

हाइकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट इस कानून को अमान्य और रद्द कर सकते हैं। लेकिन अभी तक इसके बारे में कोई फैसला नहीं लिया गया है। आजकल यह दिल्ली हाइकोर्ट में विचाराधीन है।

लेकिनें....

क्या इसका यह मतलब है कि आपके कोई अधिकार नहीं हैं?

नहीं। आपके कुछ निश्चित अधिकार हैं जिन्हें कोई भी कानून आपसे छीन नहीं सकता। वह **मौलिक अधिकार** हैं, जो कि संविधान में लिखे हुये हैं। यह मौलिक अधिकार सभी नागरिकों के लिये हैं और हाइकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट ही किसी भी कानून को रद्द कर सकते हैं जो कि इन मौलिक अधिकारों के ख़िलाफ़ है। कुछ आवश्यक मौलिक अधिकार, जिनके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिय हैं, वह हैं:

- **समानता का अधिकार (अनुच्छेद 14):** इसका मतलब सभी नागरिकों को चाहे वह MSM हों, के साथ एक सा व्यवहार करना चाहिये और सभी को कानून के अर्न्तगत एक सी सुरक्षा दी गयी है। यह अनुच्छेद स्टेट (स्टेट का मतलब सरकार और सरकारी एजेंसियाँ जैसेः पुलिस आदिं) को किसी के भी साथ भेद-भाव करने को मना करता है। अगर आप MSM हैं तो यह आपके लिये यह अनुच्छेद और भी ज़रूरी है क्योंकि ‘ S ‘ के साथ भेदभाव काफ़ी प्राचीन समय से हो रहा है।

- **विभिन्न स्वतन्त्रता के अधिकार (अनुच्छेद 19):** इस अनुच्छेद में कुछ स्वतन्त्रताओं को निश्चित किया गया है, जैसेः

    - **बोलने और भाव व्यक्त करने की स्वतन्त्रताः** इसका मतलब यह है कि अगर आप एक कोथी हैं, और आप औरतों की तरह कपड़े पहनना, सजना-सँवरना चाहते हैं, तो यह आपकी अपनी पसन्द है और इसके लिये कोई भी आपको परेशान नहीं कर सकता। इस तरह की परेशानी होने पर आप पुलिस की सहायता ले सकते हैं। आपको पुलिस ही क्यों न परेशान कर रही हो, आप उनके ख़िलाफ भी शिकायत दर्ज कर सकते हैं, और अदालत द्वारा उन लोगों को बुलवाया जा सकता है। इसका यह मतलब हुआ कि आप बिना किसी डर के अपनी चिन्ताऐं और विचारों को व्यक्त कर सकते हैं।

    - **बिना हथियारों के शांतिपूर्वक ढंग से एक-जुट होने के अधिकारः** इसका मतलब यह है कि आपको और दूसरे MSM को सार्वजनिक जगहों पर घूमने का अधिकार है। जब तक आप ऐसा कुछ नहीं करें जिससे वहाँ की शांति भंग हो, और ऐसा कुछ भी जो अश्लील हो या कुछ ऐसा जिससे दूसरों को परेशानी हो। आप सब वहाँ मिलकर सभा भी कर सकते हैं। इसका मतलब यह हुआ कि अगर किसी जगह जाने या मिलने

पर कोई कानूनी पाबन्दी नहीं है तो पुलिस आपको परेशान नहीं कर सकती।

- **सभा और संगठन बनाने का अधिकारः** इस स्वतन्त्रता का यह मतलब है कि आपको सहायक समूह और गैर-सरकारी संगठन बनाने का अधिकार है, जो इन सम्बन्धों में काम कर सकें। जब तक इन सहायक समूहों में कोई गैर-कानूनी गतिविधियाँ नहीं हो रही हो तब तक यह हर तरह की दख़्ल अन्दाज़ी और सरकार या पुलिस द्वारा परेशान किये जाने से सुरक्षित है।

- **भारत के सभी राज्यों में स्वतन्त्रता से घूमने का अधिकारः** इस स्वतन्त्रता का मतलब है कि आप भारत के किसी भी राज्य में स्वतन्त्रता पूर्वक घूम सकते हैं। छोटे स्तर पर, किसी भी सार्वजनिक स्थल जैसेः पार्क आदिंजगहों पर जहाँ आप और अन्य MSM एक-दूसरे के साथ मिलने के लिये जाते हैं, वहाँ पर सिर्फ़ आप लोगों के जाने पर रोक नहीं लग सकती है। अगर आप एक पुरूष यौन कर्मी हों, तो भी आपको वहाँ से नहीं हटाया जा सकता और आप पर कोई भी पाबन्दी नहीं लगायी जा सकती। लेकिन सार्वजनिक जगहों पर आपको अगर कोई भी यौनिक क्रिया-कलाप करते हुये पाया गया है तब आपके ऊपर अश्लीलता के कानून के तहत मुकदमा चलाया जा सकता है। सार्वजनिक जगहों पर अगर सेक्स करते हैं या ग्राहकों को लुभाते हैं तो आपके ऊपर ”इमोरल ट्रेफिक प्रिवेंशन एक्ट“ लग सकता है।

- **भारत के किसी भी हिस्से में रहने का अधिकारः** इसका यह मतलब है कि आपको भारत में किसी भी हिस्से में रहने के लिये मना नहीं किया जा सकता। अगर आपके पास घर का कानूनी अधिकार है, तब स्टेट भी आपको नहीं निकाल सकती चाहे आप MSM ही क्यों न हों। अगर आपको किसी जगह पर रहने में कोई परेशानी हो रही हो या कोई पाबन्दी लग रही है तो आप उसके ख़िलाफ़ पुलिस के पास शिकायत दर्ज करा सकते हैं।

- **किसी भी कार्य और व्यवसाय या व्यापार को करने की स्वतन्त्रताः** यह स्वतन्त्रता आपके लिये बहुत महत्वपूर्ण है, ख़ास तौर पर जब आप एक पुरूष यौन कर्मी हों! यौन कर्म भी एक कार्य है, और आपको इसे आगे जारी रखने का अधिकार है। जबकि भारतीय दण्ड संहिता की धारा 377 मुख-मैथुन और गुदा-मैथुन को गैर-कानूनी बताती है, ”इमोरल ट्रेफिक प्रिवेंशन एक्ट“ जो कि यौन कर्म से सम्बन्धित है, के अनुसार यौन कर्म अपने आप में गैर-कानूनी नहीं है। यह पुरूष यौन कर्म के लिये भी समान है। इसका यह मतलब हुआ कि स्टेट जब तक यह साबित न कर पाये कि

यौन कर्म में मुख-मैथुन या गुदा-मैथुन भी शामिल था, तब तक स्टेट आपको यौन कर्म करने से नहीं रोक सकती।

नोटः *ऊपर बतायी गयी सारी स्वतन्त्रताऐं पूरी तरह से पूर्ण नहीं है। स्टेट, कानून की रक्षा, अच्छाई, नैतिकता आदिं के आधार पर किसी भी स्वतन्त्रता के ऊपर पाबन्दी लगा सकती है। परन्तु जैसा कि अभी तक इस तरह की कोई भी पाबंदी MSM के ऊपर नहीं लगायी गयी है, आप इस स्वतन्त्रताओं का पूर्ण रूप से उपभोग कर सकते हैं।*

- **गैर-कानूनी सज़ा के ख़िलाफ अधिकारः (अनुच्छेद 20-I):** यह कानून ज़िम्मा लेता है कि किसी भी व्यक्ति को उस चीज़ के लिये सज़ा नहीं दी जा सकती जो कि अपराध नहीं है। गुदा और मुख-मैथुन धारा 377 के अनुसार अपराध है, लेकिन किसी भी व्यक्ति को सज़ा देने के पहले यह अदालत में साबित होना ज़रूरी है कि उसने गुदा या मुख मैथुन किया है। ज़्यादातर यह देखा गया है कि गुदा या मुख-मैथुन को साबित कर पाना बहुत मुश्किल होता है।

- **अपने जीवन और व्यक्तिगत स्वतन्त्रताओं का अधिकारः** सम्भवतः यह सबसे महत्वपूर्ण मौलिक अधिकार है। इसके अनुसार स्टेट आपसे आपका जीवन नहीं छीन सकती और ऐसा कुछ भी नहीं कर सकती जिससे आपके जीवन की गुणवत्ताओं पर असर पड़े। स्टेट आपके गौरव को भी चोट नहीं पहुँचा सकती और आपके अपने ढंग से जीने की स्वतन्त्रताओं को तब तक छीन नहीं सकती जब तक आप कुछ गैर-कानूनी न कर रहे हों। जबकि पुरूष-पुरूष सेक्स आपके अस्तित्व, खुशियों और जीवन की गुणवत्ताओं के साथ जुड़ा हुआ है तब यह कहा जा सकता है कि यह अनुच्छेद आपको परेशानियों या इस सेक्स को अपराधिकरण से सुरक्षा देता है। लेकिन यह अदालत के फ़ैसले से ही तय हो पायेगा, जो कि अब तक नहीं हुआ है।

- **कुछ मामलों में गिरफ़्तारी और नज़रबन्दी के खिलाफ़ सुरक्षा का अधिकारः (अनुच्छेद-22):** यह अनुच्छेद ज़रूरी है क्योंकि अक्सर पुलिस, जहाँ पर MSM एक-दूसरे से मिलते हैं उन जगहों से, MSM को पकड़ लेती है। इस अनुच्छेद के अनुसार, पुलिस इस बात के लिये मज़बूर है कि जिसे गिरफ़्तार कर रही है उसे यह बताये कि उसे क्यों गिरफ़्तार किया जा रहा है। अगर आपको गिरफ़्तार किया है तो आपको 24 घंटों के अन्दर मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाना चाहिये। आपको अपने पसन्द के वकील से प्रतिनिधित्व कराने का भी अधिकार है। हम आपकी गिरफ़्तारी के समय आपके अधिकारों के बारे में बाद में

बतायेंगे।

क्या आपके सिर्फ़ यही अधिकार हैं?

वास्तव में आपके **नागरिक** और **आपराधिक** कानून के तहत अन्य कई अधिकार हैं।

सिविल राइट (नागरिक हक) का यह मतलब है कि आपको सम्पत्ति के अधिकार, नागरिक क्रिया-कलापों में भाग लेना जैसेः वोट देना, सार्वजनिक परिवहन से यातायात करना, सम्पत्ति के उत्तराधिकार, स्कूल व कॉलेज जाना, शादी करना, बच्चे गोद लेना, (यदि व्यक्तिगत कानून आपको यह अनुमति देता है) आदिंके अधिकारों को आपसे कोई नहीं छीन सकता चाहे आप MSM ही क्यों न हों। नागरीक कानून के तहत कोई भी व्यक्ति अगर आपको चोट पहुँचाता है, तोड़-फोड़ करता है या किसी भी अन्य तरीके से परेशान करता हैं तो आप उसके खिलाफ़ हर्जाने के लिये अदालत में मुकदमा कर सकते हैं।

आपराधिक कानून आपको किसी भी मानसिक परेशानी या शारीरिक नुकसान से सुरक्षा देता है और अपराधी को सजा देता है। इस सिलसिले में हर तरह की धमकियाँ या हिंसा के बारे में जानना ज़रूरी है जो कि गैर-कानूनी है। यदि आप MSM हैं और नीचे दी गई परिस्थितियों से गुजर चुके हैं, जैसेः

- आपको शारीरिक हिंसा की धमकी दी गयी है या आपके ऊपर शारीरिक हिंसा हो चुकी हैं,
- आपके परिवार वालों या किसी और के द्वारा आपको गलत ढंग से नज़रबंद या क़ैद (जैसे कि-तालाबंद) किया गया हो,
- आपको कोई पैसा ऐंठने के लिये या ज़बरदस्ती अपराध मनवाने के लिये ठेस, शारीरिक चोट पहुँचा रहा हो या आपको परेशान कर रहा हो,
- आपकी मर्ज़ी के बगैर, कोई आपके साथ सेक्स कर रहा हो जबकि आप उसके साथ सेक्स नहीं करना चाहते हों
- कोई आपको ब्लैकमेल कर रहा हो या आपको धमकी दे रहा हो कि आपके बारे में सबको बता देगा।
- या कोई और किसी दूसरी तरह से आपको परेशान कर रहा हो।

आप ऐसे लोगों के खिलाफ़ कानूनी कार्यवाही कर सकते हैं, और उनके खिलाफ़ कानूनी मुकदमा चला सकते हैं। यह मुकदमा इस बात पर आधारित रहता है कि यह अपराध कॉग्निसेबल या नॉन-कॉग्निसेबल है।

कॉग्निसेबल और **नॉन-कॉग्निसेबल** अपराध क्या हैं एवं इन स्थितियों में आप क्या कर सकते हैं?

कॉग्निसेबल अपराध (Cognisable offence) वह है जिसमें पुलिस खुद अपराधी के ख़िलाफ कार्यवाही एवं जाँच-पड़ताल कर सकती है और कसूरवार पाये जाने पर व्यक्ति को गिरफ़्तार कर सकती है। इसलिये आपके ऊपर अगर कोई कॉग्निसेबल अपराध हुआ है तो आपको पुलिस रिकॉर्ड में शिकायत दर्ज करवानी होगी। पुलिस को पहली सूचना रपट (First Information Report-FIR) दर्ज करने के लिये ज़ोर डालें। मुकदमा चलाने के लिये FIR पहली प्रक्रिया है। इसके बाद पुलिस खुद अपने आप जाँच-पड़ताल करेगी और उस व्यक्ति पर मुकदमा चलायेगी। अगर पुलिस आपकी FIR दर्ज करने से मना करती है तो आप अपनी शिकायत पुलिस सुपरिन्टेंडेंट के पास रजिस्ट्री-पत्र के माध्यम से भेज सकते हैं। यह रजिस्ट्री पत्र FIR की तरह मानी जाएगी। इसके बाद भी अगर पुलिस किसी प्रकार की कार्यवाही नहीं करती है तब आप पुलिस के खिलाफ हाइकोर्ट में एक न्यायादेश याचिका दायर कर सकते हैं, एवं हाइकोर्ट से पुलिस को FIR पर कार्यवाही करने की माँग कर सकते हैं।

नॉन-कॉग्निसेबल अपराध (Non-cognisable offence) वह अपराध है जिनमें पुलिस को किसी भी अपराध की जाँच के लिये पहले मजिस्ट्रेट से अनुमति लेने की ज़रूरत होती है। किसी को गिरफ़्तार करने से पहले उसकी गिरफ़्तारी के वारंट की भी ज़रूरत होती है। इसलिये इस तरह के मामलों में, आप पुलिस स्टेशन में सामान्य शिकायत डायरी में एक शिकायत दर्ज कर सकते हैं। सम्भवतः थानाध्यक्ष इसके बाद मजिस्ट्रेट के पास जाकर मुकदमा चलाने के लिये अनुमति लाने को कहेगा। लेकिन आप सीधा मजिस्ट्रेट के पास जाकर अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं और उस व्यक्ति के खिलाफ़ मुकदमा चलाने की अनुमति ले सकते हैं। अगर आप किसी पुलिस वाले के खिलाफ़ मुकदमा चलाना चाहते हैं तो सीधे मजिस्ट्रेट के पास जाना ज़्यादा अच्छा है।

आप अक्सर पुलिस स्टेशन में यह पूछ सकते हो कि अपराध कॉग्निसेबल या नॉन-कॉग्निसेबल है। यह अच्छा विचार है कि किसी वकील से सलाह ली जाए, जो कि यह पूरी कार्यवाही के दौरान आपको मदद कर सकते हैं।

ऊपर लिखे गये प्रावधानों के अलावा, आप अधिशासी मजिस्ट्रेट से उस व्यक्ति को शान्ति बनाये रखने के लिये एक समझौता पत्र में हस्ताक्षर लेने की माँग कर सकते हैं। अगर वह इस समझौता पत्र को तोड़ता है तो उसके लिये उसे सज़ा हो सकती है। अगर वह व्यक्ति पुलिस में है, तो आप उनके ख़िलाफ़ भी पुलिस में शिकायत कर सकते हैं एवं विभागीय जाँच की माँग कर सकते हैं। आप पुलिस के ख़िलाफ़ हाइकोर्ट में भी याचिका दायर कर सकते हो। आजकल, आप रा ट्रीय और राज्य मानवाधिकार आयोग को अपने अधिकार पुलिस द्वारा भंग किये जाने को लेकर भी शिकायत कर सकते हैं।

याद रखिये, पुलिस को आपको परेशान करने का कोई अधिकार नहीं है। पुलिस कानून को भंग नहीं कर सकती, और न ही उसके बाहर जा सकती है। पुलिस द्वारा परेशान किये जाना और पैसा वसूलना अभद्र व्यवहार है, और इसके लिये इनके खिलाफ कोई कार्यवाही हो सकती है। अगर उनके खिलाफ कोई शिकायत है तो उसके आधार पर उन्हें नौकरी से स्थगित किया जा सकता है। किसी ख़ास अपराध के लिये उन्हें भारतीय दण्ड संहिता के तहत सज़ा भी हो सकती है।

यदि पुलिस आपको गिरफ्तार करे तो आपके क्या अधिकार हैं? आप क्या-क्या कर सकते हैं?

- **आप गिरफ्तार हो जाते हैं तो आपके निम्नलिखित अधिकार हैं:**

  - आपको सूचित किया जाए कि आपको क्यों गिरफ्तार कर रहे हैं।

  - आपको कम से कम अपने किसी एक दोस्त, जानने वाले या रिश्तेदार को अपनी गिरफ्तारी एवं अपनी हिरासत की जगह के बारे में सूचना देने का अधिकार है।

  - आपको किसी वकील से सलाह लेने और किसी वकील से प्रतिनिधित्व कराने का भी अधिकार है।

  - अगर आप कोई वकील करने में सक्षम नहीं हैं तो आपको मुफ्त कानूनी सहायता के लिए माँग करने का अधिकार है। जब आपको मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाता है, तब उनसे इस कानूनी सहायता की माँग करें।

  - आपको हथकड़ी नहीं लगायी जा सकती। लेकिन यदि आप गिरफ्तारी का विरोध करते हो, उस स्थिति में आपके खिलाफ बल प्रयोग किया जा सकता है।

- आपकी गिरफ़्तारी के 24 घंटों के अन्दर, आपको मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जायेगा और यदि देर होती है तो आप अपनी पेशी पर ज़ोर दे सकते हैं।

- यदि आप पर जमानती जुर्म का आरोप लगाया गया है, तो आपका अधिकार है कि आपको जमानत पर छोड़ा जाये।

- यदि आप पर गैर ज़मानती जुर्म का आरोप है तो आपको अपनी ज़मानत के लिए मजिस्ट्रेट के सामने या अदालत में अपील करने का अधिकार है।

- गिरफ़्तारी के समय आपको अपनी डॉक्टरी जाँच कराने का अधिकार है। आपके शरीर में मौजूद घाव के निशानों का रिकार्ड होना चाहिए।

- हिरासत में हर 48 घंटे पर आपको अपनी डॉक्टरी जाँच कराने का अधिकार है।

- पूछताछ के दरमियान आपको अपने वकील से मिलने का भी पूरा अधिकार है।

- पुलिस आप पर अपने ख़िलाफ़ कोई सबूत पेश करने के लिए किसी भी प्रकार का दबाव नहीं डाल सकती है। इसलिए आप पूछताछ के दौरान ख़ामोश रह सकते हैं।

- आपके लिए यह समझना ज़रूरी है कि जो कुछ भी आपने पुलिस को बताया, वह आपके ख़िलाफ़ सबूत के रूप में पेश नहीं किया जा सकता।

- पुलिस आप पर किसी प्रकार का दबाव और 'थर्ड डिग्री' का इस्तेमाल नहीं कर सकती है।

➢ **यदि आप गिरफ़्तार होते हैं तो आपको निम्न बातों पर ध्यान रखना चाहिए:**

- आपको अपने पास हमेशा किसी भरोसेमंद वकील या किसी ऐसे व्यक्ति का टेलीफोन नम्बर रखना चाहिए जो ज़रूरत के समय आपका वकील से सम्पर्क करा सके। गिरफ़्तार होते ही आपको वकील से सम्पर्क करने की कोशिश करनी चाहिए।

- यदि आपको अपनी गिरफ़्तारी की आशंका हो जाये तो आप प्रत्याशित जमानत (Anticipatory bail) के लिए आवेदन करें।

- अपनी गिरफ़्तारी के समय किसी प्रकार के प्रतिरोध का कोई मतलब नहीं होता है।

उसके बाद आप कानूनी मदद हासिल करने की कोशिश करें।

- पुलिस को यह बताने में ना घबरायें कि आप अपने अधिकारों को जानते हैं और यह भी जानते हैं कि क्या कानूनी है और क्या गैर कानूनी।

क्या और भी अन्य अधिकार हैं जो एक MSM होने पर आपको जानने चाहिए?

अवश्य हैं! आपको आपके **स्वास्थ्य के अधिकारों** और **यौन अधिकारों** के बारे में भी जानना चाहिये।

➢ **स्वास्थ्य के अधिकार** जीवन के अधिकारों में उत्पन्न हुए हैं, जो पहले बताये जा चुके हैं। कोई भी व्यक्ति आपके शरीर से दख़्ल अंदाज़ी नहीं कर सकता जब तक आप उसे स्वतन्त्र, ख़ास और पूरी जानकारी के साथ मन्ज़ूरी न दे।

पूरी जानकारी के साथ मन्जूरी का मतलब है कि एक डॉक्टर ऐसा कोई भी इलाज नहीं कर सकता जिसे वह सही समझता हो, जब तक उसने उसके सम्भवतः हानिकारक परिणामों के बारे में नहीं बताया हो, और उसके बाद आप उस इलाज के लिए राज़ी भी हों। एक डॉक्टर एच०आई०वी० टेस्ट नहीं कर सकता जब तक उसने आपसे बात-चीत न की हो और टेस्ट के लिए आपने मन्जूरी न दी हो। आपकी मन्जूरी स्वतन्त्र भी होना चाहिये। इसका मतलब कोई भी आपकी मन्जूरी लेने के लिये किसी भी तरह का दबाव या ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं कर सकता। अगर आपकी मर्ज़ी के बिना के आपका एच०आई०वी० टेस्ट या ऐसा कोई भी इलाज किया गया है जिससे आप सहमत नहीं थे, तो आप डॉक्टर और चिकित्सालय के ख़िलाफ़ मेडिकल संस्था में शिकायत दर्ज कर सकते हैं।

आपने कोई भी इलाज करवाया है तो आपको उसकी गोपनीयता रखने का भी अधिकार है। अगर आपकी गोपनीयता को तोड़ा जाता है तो आप उसके ख़िलाफ़ कानूनी कार्यवाही कर सकते हैं। अगर आप एच०आई०वी० पॉज़िटिव हैं, तो आपको कार्यवाही करने में डरने की ज़रूरत नहीं है कि, आप एच०आई०वी० पॉज़िटिव हो इसके बारे में अदालत में पता चल जायेगा। बिना अपनी पहचान बताये अब आप एक झूठा नाम (जो कि पहचान छुपाने के लिए होता है) इस्तेमाल कर सकते हैं।

अगर आप MSM हैं तब भी आपको यह अधिकार है कि किसी भी सरकारी अस्पताल/क्लीनिक में चिकित्सा बिना किसी भेद-भाव से की जाए। कोई भी सरकारी अस्पताल या क्लीनिक आपकी चिकित्सा के लिये किसी भी आधार पर मना नहीं कर सकते

हैं। अगर वो ऐसा करते हैं तो आप उनके ख़िलाफ़ कानूनी कार्यवाही और हर्जाने की माँग कर सकते हैं।

- **यौन अधिकार** इस बात से उत्पन्न होता है कि आप अपने शरीर के पूरे मालिक हैं, एवं कोई भी आपकी मर्जी के ख़िलाफ़ इसके साथ दख़्ल अन्दाज़ी नहीं कर सकता। इसलिये, कोई भी आप पर सेक्स करने के लिए दबाव नहीं डाल सकता/सकती। अगर आप सुरक्षित सेक्स करने के लिये राज़ी हैं तो कोई भी आप पर असुरक्षित सेक्स करने के लिए दबाव नहीं डाल सकता। अगर कोई ऐसा करे तो इसे यौन उत्पीड़न माना जायेगा, एवं आप उनके ख़िलाफ़ आपराधिक कार्यवाही कर सकते हैं। उस व्यक्ति के ख़िलाफ़ नागरिक अदालत में हर्जाने के लिये आप मुकदमा चला सकते हैं।

अक्सर, अगर आप किसी भी मुश्किलों का सामना कर रहे हैं या आपके अधिकार भंग हो रहे हैं, तो MSM के लिये स्थानीय यौन स्वास्थ्य पर कार्य करने वाली संस्थायें आपकी मदद कर सकती हैं। यह संस्थायें आपकी कानूनी मदद भी कर सकती हैं। इसलिये यह अच्छा है कि इन सभी संस्थाओं के टेलीफोन नम्बर आप अपने पास रखें और ज़रूरत पड़ने पर उनसे सम्पर्क करें। जब तक आप अपने अधिकारों के बारे में नहीं जानेंगे एवं इन अधिकारों को बचाये रखने की कोशिश नहीं करेंगे, तब तक दूसरे व्यक्ति आपके इन अधिकारों को भंग करते रहेंगे।

मदद के लिये फोन करें: